95

024

DM Court Bundi GCMS No. 2024/95
Decision Date 10/09/2024 Page 1 to 3

न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 30/अपील/2024 (GCMS No. 2024/95)	24.06.2024	10.09.2024

1. सुनिता सुमन पुत्री स्व.पुरूषोत्तम हाल पत्नी सुरेश सुमन जाति माली निवासी टिप्पन की चोकी, श्रीपुरा कोटा सिटी, कोटा (जिला कोटा)
2. मोना पुत्री स्व.पुरूषोत्तम हाल पत्नी मुकेश जाति माली निवासी 301 हनुमान मंदिर के पास, प्रेमनगर द्वितीय, कोटा (राज.)

– अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)
2. नंदकिशोर पुत्र छोटूलाल सैनी निवासी बून्दी
3. शिवशंकर पुत्र मोतीशंकर सैनी निवासी माटून्दा रोड, बून्दी
4. त्रिलोकचंद पुत्र मोतीशंकर सैनी निवासी माटून्दा रोड, बून्दी
5. पूजा पुत्री मोतीशंकर सैनी निवासी माटून्दा रोड, बून्दी
6. राजबाला पुत्री मोतीशंकर सैनी निवासी माटून्दा रोड, बून्दी
7. कस्तुरीबाई पत्नी मोतीशंकर सैनी निवासी माटून्दा रोड, बून्दी
8. संगीता पुत्री पुरूषोत्तम सैनी निवासी माटून्दा रोड, बून्दी
9. योगेश कुमार पुत्र पुरूषोत्तम सैनी निवासी कागजी देवरा, बून्दी
10. मीनाक्षी पुत्री पुरूषोत्तम सैनी निवासी कागजी देवरा, बून्दी हाल पत्नी शिवराज सैनी निवासी बडगांव, कोटा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री महेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 2 व 10 दौराने बहस उपस्थित न्यायालय नहीं आये।
रेस्पो. सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1163 दिनांक 09.01.2008 ग्राम देवपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण सहखातेदार पुरूषोत्तम आ. छोटू जाति माली निवासी देवपुरा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 30/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/95 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस के पिता पुरूषोत्तम पुत्र छोटू जाति माली निवासी देवपुरा बून्दी के संयुक्त खातेदारी की भूमियां खसरा संख्या 1167 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, ख.सं. 1171 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम देवपुरा में स्थित है। अपीलांटस के पिता पुरूषोत्तम जी का देहान्त हो चुका है। सहखातेदार पुरूषोत्तम के देहान्त के बाद खोले गये विरासत के इंतकाल संख्या 1163 में अपीलांट सं.1 सुनिता का घरेलू नाम पिंकी एवं अपीलांट सं. 2 मोना का घरेलू नाम कमलेश अंकित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण खोल दिया गया, जिसके कारण अपीलांटस सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है और न ही अपनी भूमि का सही तरीके से उपयोग उपभोग कर पा रही है। उस समय अपीलांटस नाबालिग होने से उनको नाम गलत अंकित हो जाने की जानकारी नहीं थी। इस बात का पता जमाबदी संवत 2067 से 2070 की नकल दिनांक 19.05.23 को लेने पर चला। तब अपीलांटस द्वारा उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु उसी दिन आवेदन पेश किया गया तथा दिनांक 29.05.2023 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश कर दी गई। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर वारिसान के सही नाम पिंकी के स्थान पर सुनिता एवं कमलेश के स्थान पर मोना दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान अपील अपीलांटस में वर्णित तथ्यों पर संबंध में दस्तावेजों का अवलोकन कर तथा पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 19.05.2023 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी ख.सं.1167 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा एवं ख.सं.1171 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम देवपुरा में स्थित है। सहखातेदार पुरूषोत्तम पि. छोटू कौम माली के देहान्त के उपरान्त विरासतन नामान्तरण सं.1163 दिनांक 09.01.2008 को उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में सहखातेदार पुरूषोत्तम की एक पुत्री मोना का घरेलू नाम कमलेश एवं दूसरी पुत्री सुनिता का घरेलू नाम पिंकी दर्ज कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पर जो सजरा बनाया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांटस द्वारा अपने शपथ पत्र एवं परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित सजरे के गलत होने तथा वारिसान की सुनवाई नहीं किये जाने का प्रश्न है तो नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है, इसके अभाव में अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.1163 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार पुरूषोत्तम के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी